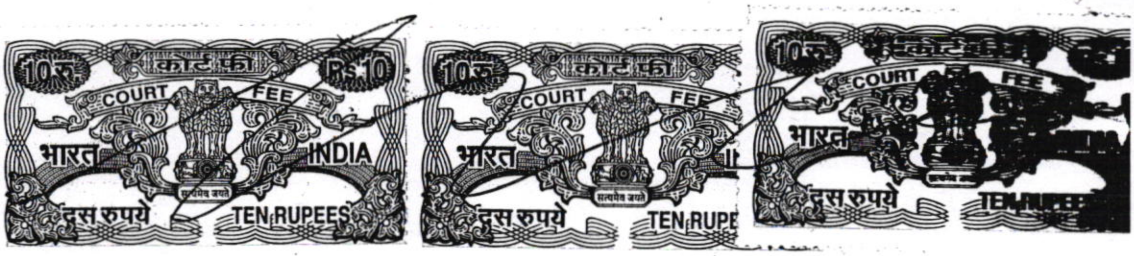

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल वोर्ड ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

प.क्र. /015 रिवीजन

मंदिर श्रीराम जानकी मंदिर गनेश जी
ग्राम पिपरहा द्वारा- पुजारी ओमकारदास
गुरू हनुमानदास निवासी ग्राम पिपरहा
तहसील त्योंदा जिला विदिशा म.प्र....आवेदक

बनाम

1 म0प्र0 शासन जर्ये कलेक्टर महोदय विदिशा
2 म0प्र0 शासन जर्ये तहसीलदार महोदय त्योंदा
जिला विदिशा म0प्र0 ....अनावेदकगण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महो0तहसील त्योंदा के प्र0क0 523/बी–121/015–016 में आदेश दिनांक 04/11/015 के विरूद्व

माननीय महोदय,

निगरानी इस प्रकार है ।

1–यह कि ग्राम पिपरहा स्थित मंदिर श्री गनेश जी के नाम की भूमि सर्वे क01490,1494,कुल किता 02 कुल रकवा 1.671है0 एवं मंदिर श्री राम जानकी नाम की भूमि सर्वे क्रमांक 532,533,962,972,973,976,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1488,1449,1492 1669,/2163,1670,1671/11673,1684,1880,1881,1977,2051,2052/22057/22066,2 127,2128,2129,2130,2136,2146,कुल किता 33 कुल रकवा 11.559है0भूमि रिकार्ड में दर्ज है।

2–यह कि आवेदक पुजारी ओमकारदास विगत 27/09/2002 से अनुविभागीय अधिकारी गंज बासौदा द्वारा मंदिर का पुजारी नियत है । और इसके पूर्व आवेदक के गुरू हनुमानदास पुजारी थे ।

3–यह कि कलम न 01 में वर्णित भूमि पर लगातार पुजारी कृषि करता चला आ रहा है ओर मंदिर व आश्रम के खर्चे व अन्य धार्मिक कार्यक्रम व संतो के रहने व ठहरने का खर्चा भी उठाता चला आ रहा है।

4–यह कि पुजारी के विरूद्व मंदिर की व्यवस्था भूमि कृषि के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अनियमिता की शिकायत नही की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा भी कोई आपत्ति अभी तक नही उठाई है।

5–यह कि अनावेदक क्रमांक 02 तहसीलदार त्योंदा ने विगत दिनों विना किसी राज्य शासन के आदेश के अथवा विना किसी शिकायत के अवैधानिक तरीके से भूमि को नीलाम करने के इश्तहार ग्राम में कैई बार लगाये जा चुके है, जवकि पुजारी को अभी तक किसी भी प्रकार का नीलामी के संबंध में नोटिस नही दिया गया है।

6–यह कि पुजारी /आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में विधिवत आपत्ति दर्ज कराई गई की विना किसी कारण के भूमि को नीलाम न किया जाये और पुजारी को कृषि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला विदिशा

प्रकरण कमांक R- 4039–एक / 15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–2–2018	प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । यह प्रकरण आवेदक मंदिर की भूमि को रबी फसल वर्ष 15–16 के लिए नीलाम किए जाने से संबंधित है । आवेदक को प्रकरण में कायमी पर सुनवाई हेतु कई सूचना पत्र वर्ष 2015 से भेजे जा रहे हैं परंतु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण रूचि न लेने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	